

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
आवेदन पत्र

सेवा में,

जिलाधिकारी

आवेदक का फोटो

(आवेदन पत्र संबंधित तहसील में जमा किया जायेगा)

1-मृतक/दिव्यांग कृषक का नाम -----

2-पिता/पति का नाम -----

3-मृतक/दिव्यांग कृषक की जन्मतिथि-----

4-मृतक/दिव्यांग कृषक का पता-

ग्राम/मोहल्ले का नाम-----

थाना- ----- तहसील- ----- जनपद- -----

5-दुर्घटना का दिनांक -----

6-दुर्घटना का कारण -----

7-आवेदक/आवेदकों का नाम -----

(यदि मृत कृषक के एक से अधिक विधिक वारिस हैं, तो सभी आवेदकों
(वारिसों) के नाम तथा विवरण निम्नवत भरे जायें)

(I)नाम----- पिता/पति का नाम-----मृतक से सम्बन्ध---

पता:- ग्राम/मोहल्ला ----- थाना-----

तहसील ----- जनपद -----

मोबाइल नम्बर ----- आधार नम्बर -----

बैंक एवं शाखा का नाम ----- बैंक खाता संख्या -----

बैंक का आई0एफ0एस0सी0 नम्बर -----

(II)नाम----- पिता/पति का नाम-----मृतक से सम्बन्ध ---

पता:- ग्राम/मोहल्ला -----थाना -----

तहसील ----- जनपद -----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मोबाइल नम्बर -----आधार नम्बर-----
बैंक एवं शाखा का नाम -----बैंक खाता संख्या -----
बैंक का आई0एफ0एस0सी0 नम्बर-----

8-आवेदन पत्र के साथ मृतक/दिव्यांग के संबंध में यथा वांछित निम्न साक्ष्य संलग्न किये जाये:-

(I)-(अ) खतौनी की प्रमाणित प्रति।

अथवा

(ब) रजिस्टर्ड निजी पट्टेदार हेतु रजिस्टर्ड पट्टे की प्रमाणित प्रति ।

अथवा

(स) बटाईदार हेतु निम्नलिखित में से कोई 01 प्रमाण पत्र:-

1- भू-स्वामी या उनके वारिस/विधिक वारिस से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि दुर्घटना में मृत अथवा दिव्यांग होने वाले व्यक्ति द्वारा फसली वर्ष में उनकी जमीन पर बटाई पर कृषि कार्य किया गया है।

अथवा

2- भू - स्वामी उपलब्ध न होने पर ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर, मुहर से दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि उक्त प्रभावित व्यक्ति भूमिधर व्यक्ति की भूमि पर बंटाईदार था।

(II)- मृतक/दिव्यांग की आयु के संबंध में संलग्न प्रमाण-पत्र का नाम --

आयु के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा-

(अ) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र (ब) परिवार रजिस्टर की प्रति (स) वोटर आई0डी0 कार्ड (द) पासपोर्ट (य) ड्राइविंग लाइसेन्स (र) आधार कार्ड (ल) पैन कार्ड

(III)-मृतक/दिव्यांग के निवास के संबंध में संलग्न प्रमाण-पत्र का नाम -

निवास के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा-

(अ) पासपोर्ट (ब) ड्राइविंग लाइसेंस (स) राशन कार्ड (द) वोटर आईडी0 कार्ड (य) आधार कार्ड (र) उप जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र

(IV)-उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (केवल विवादित उत्तराधिकार की दशा में)

(V)- परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति

(VI)- पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्ट मार्टम सम्भव नहीं है, वहा, पर पंचनामा (जो संलग्न करें उसका नाम)-----

(VII)- मृत्यु/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (जो संलग्न करें उसका नाम)-

(VIII)-मौखिक पट्टेदार/बंटाईदार के प्रमाणन का प्रमाण पत्र-----

9- गवाह-हस्ताक्षर-----

गवाह-हस्ताक्षर -----

(1) अ-नाम-----

(2) अ-नाम -----

ब-पता-----

ब-पता -----

कृपया उपरोक्त सूचना के आधार पर आवेदक/आवेदकों को अनुमन्य सहायता राशि.....स्वीकृति कर आवेदक/आवेदकों के बैंक खाते में भुगतान कराने का कष्ट करें।

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अगूठा निशान

1-

2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

घोषणा

मैं/हम शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ/करते कि हैं आवेदन पत्र में दी गयी सूचनायें सही हैं। मेरे/हमारे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त में से कोई भी सूचना गलत पाई जाये तो मेरे/हमारे विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाये।

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अगूठा निशान

स्थान -----

1-

दिनांक -----

2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।